अनवान कमला देवी बनाम सरकार
वाद मुकदमा नं. 32/2024

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – जीतू कुलहरी, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 32/2024

अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम एवम् 136 एल.आर.एक्ट

कमला देवी पत्नि श्री भीमसैन जाति जाट निवासी दौलतपुरा, 3 क्यू, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

—— **वादी**

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

—— **प्रतिवादी**

उपस्थित–	अधिवक्ता श्री राजेश गुम्बर	(वादी)
	पैरोकार राज	(प्रतिवादी)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 11.06.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार वादिया का सही नाम कमला देवी पत्नि भीमसैन है एंवम पिता का नाम लिछमण है एवम वादिया के नाम से चक 5 क्यु, पटवार हल्का दौलतपुरा, तहसील व जिला श्री गंगानगर खाता सख्या 4/3 के मुरबा न0 12 में कुल तादादी 6.325 है0 नहरी मय खाला सयुंक्त खाता की भूमि में से हिस्सा 1669/6325 अर्थात 1.669 है0 खातेदारी मुशतर्का खाता में दर्ज है। जमाबन्दी की प्रति सलगन वाद पत्र है। वादीया के खाता संख्या 4/3 में वादिया का नाम टंकण की गलती अथवा अन्य किसी कारण वश कमला देवी के स्थान पर गुडडी पुत्री लिछमण दर्ज हो गया है। शादी पूर्व कमला देवी का नाम गुड्डी था। वादिया के नाम से आधार कार्ड स० 443028710838 बना हुआ है जिसमे वादिया का नाम कमला देवी पत्नि भीमसैन ही दर्ज है। इसी प्रकार वादिया का पहचान पत्र (वोटर कार्ड) स० आर जे/01/007/381069 बना हुआ है जिसमे भी वादिया का नाम कमला देवी पत्नि भीमसैन दर्ज है। वादिया का पैन कार्ड सं. **BVFPK9810D** बना हुआ है जिसमे भी वादीया का नाम कमला देवी दर्ज है। वादिया का पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड दस्तावेजात में फोटो उक्त है जिसमें वादिया का नाम सही दर्ज है समस्त दस्तावेजात की प्रति संलग्न वाद पत्र है एवम ग्राम पंचायत दौलतपुरा का प्रमाण पत्र संलग्न है। वादिया कृषि भूमि खुद काश्त एंवम ठेके हिस्से से करवाती है । भूमि में सुधार कार्य करवाना चाहती है सरकार की विभिन्न योजनाओ का लाभ लेना चाहती है। मगर वादिया का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने के कारण वादिया को सरकार की किसी भी योजना का लाभ नही मिल रहा है और ना ही वादिया कृषि भूमि पर सुधार करवा सकती है और ना ही ऋण वगैरा प्राप्त कर सकती है इसलिए वादिया अपनी खातेदारी कृषि भूमि में अपना नाम गुडडी के स्थान पर कमला देवी खातेदारी घोषणा करवाना चाहती है तथा नाम दुरूस्ती करवाना आवश्यक हो गया है। शादी से पूर्व भी कमला देवी का नाम गुड्डी था। वादीया द्वारा प्रतिवादी से बार बार आग्रह किया गया कि वादिया की खातेदारी कृषि भूमि जो वादिया के नाम से दर्ज है उसमे गुडडी के नाम की दुरूस्ती कर कमला देवी दर्ज किया [illegible] प्रतिवादी ने दो रोज पूर्व स्पष्ट कहा कि बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के [illegible] दुरूस्ती करने में असमर्थ है अतः यही बिनाय मुखास्मत (वाद कारण) है तथा दावा हाजा [illegible] है। सह काश्तकारो के साथ कोई विवाद नही है इसलिए सहकाश्तकारो को पक्षकार नही बनाया जा रहा है एवं उनकी कृषि भूमि पर न्यायालय के आदेश का कोई प्रभाव नही [illegible] है। लिहाजा वाद पेश पेश कर निवेदन है कि वाद वादिया के हक में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें :–

(क) कि डिक्री घोषणा दुरूस्ती इस अमर की सादिर फरमायी जावे कि वाद पत्र की मद सख्या 2 में अंकित कृषि भूमि चक 5 क्यु, पटवार हल्का दौलतपुरा, तहसील व जिला श्री गंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.03 16:37:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

खाता सख्या 4/3 के मुरबा न0 12 में वादिया के नाम से दर्ज भूमि वादिया अर्थात कमला देवी पत्नि भीमसैन घोषित करते हुए राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करने का आदेश फरमाया जावे।

(ख) अन्य कोई अनुतोष जो वादिया के हित में हो प्रदान किया जावे।

तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें अंकित तथ्यानुसार पटवारी हलका से रिपोर्ट ली गई। मुताबिक जांच रिपोर्ट पटवारी हलका आराजी चक 5 क्यू जमाबंदी संवत 2069–2072 खाता संख्या 3 वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 4 में गुडउी देवी पुत्री लिछमण दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी की घटना बही अनुसार गुडडी देवी पुत्री लिछमण राम बचपन का ही नाम है। परन्तु विवाह पश्चात गुडडी देवी को कमला देवी के नाम से जाना लगा। गुडडी देवी व कमला देवी एक ही महिला का नाम है। गुडडी देवी पुत्री लक्षमण राम को वर्तमान में कमला देवी पत्नी भीमसैन के नाम से जाना जाता है।

वादीया द्वारा साक्ष्य वादी में राधा कृष्ण पुत्र श्री दया चन्द्र जाति ब्राहमण निवासी गांव दौलतपुरा तहसील श्रीगंगानगर का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में जमाबंदी सम्वत् 2073–2076, ग्राम 5 क्यू, पटवार हल्का दौलतपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र दौलतपुरा खाता संख्या 4/3 की प्रतियां पेश की। वादीया द्वारा स्वयं कमला देवी पत्नी भीमसैन की स्वहस्ताक्षरयुक्त आधार कार्ड की प्रति, वादीया स्वयं का पेन कार्ड प्रमाण पत्र, वादी के नाम राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक की स्वहस्ताक्षरयुक्त प्रति, कार्यालय ग्राम पंचायत दौलतपुरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 22.02.2024 की स्वहस्ताक्षरयुक्त प्रति का अवलोकन किया गया। अतः प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों एवम् तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार योग्य पाया गया।

–::आदेश ::–

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर चक 5 क्यु, पटवार हल्का दौलतपुरा, तहसील व जिला श्री गंगानगर खाता सख्या 4/3 के मुरबा न0 12 में वादिया के नाम गुड्डी पुत्री लिछमण हिस्सा 1669/6325 जाति जाट सा. देह खातेदार से दर्ज भूमि का वादीया अर्थात कमला देवी पत्नि भीमसैन को खातेदार घोषित करते हुए गुड्डी के स्थान पर कमला देवी पत्नि भीमसैन हिस्सा 1669/6325 जाति जाट सा. देह खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 11.06.2024 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.03 16:37:09 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर (राज.)

11/06/24

(जीतू कुल्हेरी)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर,
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

डिक्री

(order 20 rule 6-7 CPC)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – जीतू कुलहरी, आर.ए.एस.

कमला देवी पत्नि श्री भीमसैन जाति जाट निवासी दौलतपुरा, 3 क्यु, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

— वादी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर

— प्रतिवादी

वादपत्र संख्या 5/2024

अन्तर्गत धारा 88, राज. काश्तकारी अधिनियम एवम् 136 एल.आर.एक्ट

प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता श्री राजेश गुम्बर एवं पैरोकार राज प्रतिवादी की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर चक 5 क्यु, पटवार हल्का दौलतपुरा, तहसील व जिला श्री गंगानगर खाता सख्या 4/3 के मुरबा न0 12 में वादिया के नाम गुड्डी पुत्री लिछमण हिस्सा 1669/6325 जाति जाट सा. देह खातेदार से दर्ज भूमि का वादीया अर्थात कमला देवी पत्नि भीमसैन को खातेदार घोषित करते हुए गुड्डी के स्थान पर कमला देवी पत्नि भीमसैन हिस्सा 1669/6325 जाति जाट सा. देह खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

वाद व्यय रूपये ...शून्य ....वास्ते...शून्य. ....खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज..शून्य.....दर वार्षिक ..शून्य .....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें.

यह डिक्री आज दिनांक 19.6.24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

19/06/24

(जीतू कुलहरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

वादीगण	राशि (00.00)	प्रतिवादीगण	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	01.00	स्टाम्प वकालतनामा	00.00
स्टाम्प वकालतनामा	01.00	स्टाम्प [illegible]	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	**02.00**	**कुल**	**00.00**

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.03 16:37:09 IST
Reason: SelfAttested